डा0 राजीव कुमार तिवारी., भा0व0से0
सचिव, भा0वा0अ0एवं शि0प0

फोन न0 : 0135–2758614 (कार्यालय)
0135–2224867 (कार्यालय)
फैक्स न0 : 0135–2750298

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का स्वायत निकाय)
डाकघर न्यू फारेस्ट, देहरादून – 248006 (उत्तराखण्ड)

सं0 58–21/54/2016 – भा0वा0अ0शि0प   दिनांक 22 फरवरी, 2017

अधिसूचना

भावाअशिप सोसाइटी के नियमों की धारा 22 (बी)(iv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये महानिदेशक, भावाअशिप द्वारा अधिशासी मण्डल के अनुमोदन से भावाअशिप वर्ग 'क' (वैज्ञानिक पदों) के नियमों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

कॉलम सं0	कॉलम शीर्षक	संशोधन
7.	सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यतायें	आवश्यक : प्राकृतिक/कृषि विज्ञान में स्नातकतोत्तर डिग्री की अकादमिक योग्यता या इंजीनियरी / प्रौद्योगिकी /चिकित्सा शास्त्र में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। (भर्ती के समय आवश्यक क्षेत्र में विशिष्टता हेतु प्रत्येक आवश्यक विषय का उल्लेख किया जायेगा।)
8.	क्या सीधी भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए विहित आयु सीमा तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नति हेतु आवश्यक होगी ?	हां
9.	परिवीक्षा अवधि, यदि हो	एक वर्ष (केवल सीधी भर्ती वालों के लिए)
10.	भर्ती की पद्धति – सीधी भर्ती या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/समादेशन तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	33% पदोन्नति (92 पद) 67% सीधी भर्ती से (188 पद) अन्यथ: प्रतिनियुक्ति द्वारा*

कॉलम सं0	कॉलम शीर्षक	संशोधन
11.	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती के मामले में श्रेणियां जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है।	**पदोन्नति** : अनुसंधान अधिकारी श्रेणी –I जिनके पास विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री हो और भावाअशिप तथा इसके संस्थानों में अनुसंधान अधिकारी श्रेणी–I के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो। **प्रतिनियुक्ति** केंद्रीय / राज्य सरकारों / स्वायत निकायों / पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग के वैज्ञानिक जिनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर / बी. टेक डिग्री हो जो व्याप्त प्रशासनिक सेवाओं के अनुरूप विचार योग्य उपयुक्त हों। (विशिष्टता के वास्तविक क्षेत्र और विषय के बारे में नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा भर्ती के समय निर्धारण किया जायेगा)।

*i) यदि वैज्ञानिक 'बी' के पद किन्ही कारणों से पदोन्नति से नहीं भरे जाते हैं तो उन्हें प्रतिनियुक्ति से भरा जा सकता है बशर्ते कि प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति, संवर्ग की निश्चित संख्या के 10% से अधिक न हो।

ii) वैज्ञानिकों को प्रतिनियुक्ति पर भरने का न्यूनतम स्तर वैज्ञानिक 'सी' होना चाहिए।

यह आदेश जारी होने की तारीख से लागू होगा।

(राजीव कुमार तिवारी)
सचिव,
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद

प्रतिलिपि : गार्ड फाईल